रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2005/भाद्र 3, 1927

No. 120] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2005/BHADRA 3, 1927

केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2005

सं. एल-5/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 17 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 17 में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि उत्पादन केंद्र को स्थापित, प्रचालित और बनाए रखने के लिए आशयित कोई भी व्यक्ति, समय-समय पर यथा लागू केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबंधित विषयों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार याचिका के माध्यम से परियोजना आरम्भ करने से पूर्व, परियोजना की पूंजी लागत तथा वित्तीय योजना की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति के लिए आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगा। याचिका में परियोजना की प्रमुख विशेषताओं, जिसमें क्षमता, अवस्थिति, स्थल विनिर्दिष्ट विशेषताएं, ईंधन, फायदाग्राहियों, पूंजी लागत प्राक्कलन का ब्यौरा, वित्तीय पैकेज, लगाया जाने (कमीशनिंग) वाला समय, संदर्भ कीमत स्तर, प्राक्कलित पूंजी लागत भी सम्मिलित होगी, के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिसमें विदेशी मुद्रा संघटक, यदि कोई हो, ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति भी है, जिनको विद्युत् का विक्रय किया जाना है, आदि भी है :

परंतु यह और कि जहां आयोग ने परियोजना पूंजी लागत के प्राक्कलनों और वित्तीय परियोजना की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दे दी है, वहां वे वास्तविक पूंजी व्यय संबंधी प्रज्ञावान जांच को लागू करने के लिए मार्गदर्शक कारक होंगे।''

ए. के. सन्नान, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/150/05]

टिप्पण.—मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में तारीख 29-3-2004 को प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियमों को तारीख 9-9-2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 4 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।